

अनुमति की शर्तें ।

- (i) लक्ष्य भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी भी स्तिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्कूल खिड्डी भवन निर्माण केवल आवासीय स्वीकृति
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी+1
आवासीय

आवेदन क्रमांक, 462 दिनांक, 22/01/2020
प्राप्ति शिबू पतार डा० श्री इंदर प्रम
ने सजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 15/132 घोषित शिबू बोर्ड
घरा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु माभवित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 11335/- जमा
जरिये रसीद सख्या 1028/9991, 9992
दिनांक 22/01/2020 को जमा करा दी है ।

Post 27/1/2020
सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Received
20/1/2020
शिवराम शिबू
कीफ
9414187600